न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– M12/2021
पंजीयन दिनांक 05.10.2021

मूली देवी पत्नी नारू जाति रेगर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

–विपक्षी

पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिव्यु बमामले न्यायालय हाजा अपील संख्या–एल.आर.13/2020 निर्णय दिनांक 31.08.2021

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट– अधिवक्ता प्रार्थीया
(2). पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय **दिनांक 29.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से न्यायालय हाजा मे एक अपील उपखण्ड अधिकारी राशमी के निर्णय दिनांक 18.09.2019 प्रकरण संख्या 07/2019 संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की। उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.08.2021 को निरस्त की गई जिसके पुनरावलोकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थीया ने निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय व आदेश पारित करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया गया जिससे निर्णय मे प्रत्यक्ष रूप से लिपिकीय त्रुटि रही है जिससे पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 31.08.2021 का पुनरावलोकन किया जाकर उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे।

उक्त आशय का पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त प्रार्थना–पत्र मे विपक्षी के सम्मन नोटिस जारी किये गए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

समन नोटिस की पालना मे विपक्षी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। पूर्व पत्रावली प्रकरण संख्या एल.आर.13/2020 निर्णय व आदेश दिनांक 31.08.2021 तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 4-ग एवं 9(2) से बाधित एवं प्रतिबंधित होना मानते हुए निर्णय व आदेश पारित किया है परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.08.2021 मे स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संपरिवर्तन नियम 4-ग एवं 9(2) से किस प्रकार बाधित था। ऐसी स्थिति मे न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 31.08.2021 पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होकर प्रार्थीया ने कानून म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो मूल अपील के साथ संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय पारित किये बगैर न्यायालय हाजा द्वारा मूल अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति मे न्यायालय हाजा द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम अनिर्णित रह जाने से न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश मे लिपिकीय त्रुटि रह जाने से न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 31.08.2021 पुनरावलोकन किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता विपक्षी ने बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 निर्णय दिनांक 18.09.2019 को पारित किया गया। उक्त निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा मे अपील कमांक एल.आर.13/2020 प्रस्तुत की, जो न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.08.2021 से प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय व आदेश को यथावत रखा गया। साथ ही यह माना गया कि प्रार्थीया के द्वारा जिन आराजीयात के संबंध मे औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन चाहा गया है, उक्त आराजीयात का रूपांतरण किये जाने से राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9(2) एवं 4 ग का उल्लंघन होने से उक्त कृषि भूमि संपरिवर्तन योग्य नहीं मानी है। साथ ही प्रार्थीया ने पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र मे यह आपत्ति की, कि न्यायालय हाजा के द्वारा अपना निर्णय पारित करते वक्त धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखा गया है जबकि न्यायालय हाजा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.08.2021 के निर्णय मे धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र को निर्णित कर स्वीकार किया गया है जिससे प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश का गहनता से अवलोकन किया व पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र मे प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए यह कथन किया है कि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग एवं 9(2) का उल्लंघन किस प्रकार हुआ है, स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही न्यायालय हाजा के द्वारा प्रार्थीया की ओर से अपील प्रस्तुत किये जाने के समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है उसको अनिर्णित रखा गया है। न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 को निर्णित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के पक्ष मे स्वीकार कर न्यायालय हाजा के द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। साथ ही कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 की धारा-4 ग एवं 9(2) मे जो नियम बताए गए है उनका विश्लेषण प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट किया गया है व उनका उल्लंघन होना मानते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मे प्रार्थीया ने यह कहीं स्पष्ट नहीं किया कि विवादित कृषि आराजीयात का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने से उक्त नियमो का उल्लंघन नहीं होता है जिससे न्यायालय हाजा के द्वारा अपील मे पारित निर्णय दिनांक 31.08.2021 मे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना पाये जाने से प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरूप प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के द्वारा अपील कमांक एल.आर.13/2020 निर्णय दिनांक 31.08.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र मूल अपील कमांक एल.आर. 13/2020 के साथ संलग्न किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)